

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016  
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक  
प्रति,

/टीसी/06/उपा/नग्रानि/2016 भोपाल,

दिनांक:- 10/5/2018

1. कलेक्टर,  
जिला देवास (म.प्र.)।
2. उप संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, देवास (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
जिला देवास (म.प्र.)।
4. आयुक्त,  
नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)।  
जिला देवास (म.प्र.)।

**विषय:-** देवास विकास योजना 2011 में उपान्तरण बाबत ।  
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा देवास विकास योजना 2011 में  
उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक  
समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।  
नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के  
सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।  
**संलग्न:-**यथोपरि।

(स्वाति मीणा नायक)  
संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल

दिनांक:- 9/5/2018

पृ. क्रमांक 2556 /टीसी/06/उपा/नग्रानि/2016 भोपाल,  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया  
सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.)  
भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(स्वाति मीणा नायक)  
संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
भोपाल

AP/10

3/5/18

AT/10

Indy  
14/5/2018

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अररा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

## सूचना

भोपाल, दिनांक 09/04/2018

क्रमांक 2553 /उपां/टीसी/06/2016 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट देवास विकास योजना 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

## अनुसूची

क्रं	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	कालूखेडी	1/1	4.212	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना)
2.	नौसराबाद	203/2	4.047		
योग:-			2.795 हेक्टेयर		

नोट:- 1. ग्राम कालूखेडी एवं ग्राम नौसराबाद की ग्राम सीमा (काकड) पर 18.00 मीटर चौड़ा पहुँच मार्ग विकसित करना आवश्यक होगा।

2. नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी भूमि उपयोग की भूमि यथावत रहेगी।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास तथा वेबसाइट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(स्वाति मीणा नायक)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

भोपाल

# Directorate, Town and Country Planning,

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal Madhya Pradesh  
Email-mptownplan@mp.gov.in, Phone No-0755 2427091

## Notice

Bhopal, Dated. 10/05/2018

No. 2553 /CL/TC/06/2016 In exercise of the powers conferred by clause(a) of Sub section (1) of section 23-A of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973). The Director, hereby proposes the following modifications for public information in the Dewas Development Plan, 2011 as specified in the schedule hereunder, namely :-

### SCHEDULE

No	Village	Suvery No.	Area (In Ha.)	Land use specified in the development plan	Proposed Land use after modifications
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Kalukhedi	1/1	4.212	Agriculture	Residential (Atal Aashraya Yojna)
2.	Nousarabad	203/2	4.047		
		Total:-	2.795 Ha		

**Note:-** 1. It shall be necessary to develop 18.00 meter wide approach road on boundary (Kakad) of village Kalukhedi and Village Nousarabad.

2. Land under city forest and environmental forestry shall remain unchanged.

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, District Dewas as well as on the web site [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) for period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions with respect to the said modifications may be submitted by any person to the Director, Town and Country Planning Madhya Pradesh Bhopal or Deputy Director Town and Country Planning, District office Dewas, in writing within a period of 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers and such objections and suggestions which may be received before the expiry of the period specified above will be considered by the Director.

(Swati Meena Naik)

Director

Town and Country Planning  
Madhya Pradesh Bhopal